

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

फा. क्र. 17(ई)38-2010-इक्कीस-ब(एक).—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये राज्य के प्रत्येक सेशन खण्ड में, सेशन न्यायालय को, बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 17 (E) 38-2010-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (No. 4 of 2006), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby specifies Court of Session in each Session Division of the State as a Children's Court for the purpose of providing speedy trial of offences against Children or of Violation of Child Rights.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2011

फा. क्र. 17(ई)52-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुभाष काकडे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. एफ. 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा-संशोधित 2006 की धारा 4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, सुश्री मंजुला श्रीवास्तव को जिला कटनी के लिये जिला मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी शर्मा, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी-15-26-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलां, जिला शाजापुर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है :-

कृषि उपज मंडी समिति, सोयतकलां

1. श्री रूपसिंहजी सोनगरा निवासी, गुराडिया अध्यक्ष (नामनिर्दिष्ट).
2. श्री राजेश कुमार गुप्ता (पूर्व निर्वाचित) व्यापारी प्रतिनिधि

3. श्री मोहनलाल दांगी (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
 4. श्री गिरिराजजी पाटीदार (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
 5. श्री शिवनारायण जी जाटव (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
 6. श्रीमती सजनबाई (पूर्व निर्वाचित) कृषक सदस्य
 7. श्री मोहनलाल जी मोदी निवासी सोयतकलां (नामनिर्दिष्ट).
 8. श्री सुरेशचंद्र शर्मा, निवासी सोयतकलां कृषक सदस्य (नामनिर्दिष्ट)
 9. श्रीमती नंदकुंवर सौनगरा निवासी कृषक सदस्य सोयतकलां (नामनिर्दिष्ट).
 10. श्री गोकुलसिंह सिसौदिया, निवासी कृषक सदस्य कंवराखेडी (नामनिर्दिष्ट).
 11. श्री जवारीलाल दांगी, निवासी कंवराखेडी कृषक सदस्य (नामनिर्दिष्ट).
 12. श्रीमती भेरीबाई मैघवाल, निवासी कृषक सदस्य सोयतकलां (नामनिर्दिष्ट).
 13. राज्य की विधानसभा का एक सदस्य (पदेन सदस्य) जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (विधान सभा क्षेत्र सोयतकलां, जिला शाजापुर).
 14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक (पदेन सदस्य) प्रतिनिधि.
 15. कृषि विभाग का एक अधिकारी (पदेन सदस्य)
 16. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य.
 17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य)
 18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष (पदेन सदस्य)
 19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या (पदेन सदस्य) जिला पंचायत का एक सदस्य.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी-15-26-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th January 2011

No. D-15-26-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Market Committee for Krishi Upaj Mandi Samiti, Soytkalan, District Shajapur till constitution of the committee through election :—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Soytkalan

1. Shri Roop Singh Ji Songra Chairman (Nominated).
2. Shri Rajesh Kumar Gupta, Traders Representative (Previously elected).
3. Shri Mohanlal Dangi, Farmer Representative (Previously elected).
4. Shri Giriraj ji Patidar Farmer Representative (Previously elected)
5. Shri Shiv Narayan ji Jatav Farmer Representative (Previously elected).
6. Smt. Sajanbai Farmer Representative (Previously elected).
7. Shri Mohanlal ji Modi Farmer Representative (Nominated) Res. Soytkalan.
8. Shri Suresh Chander Sharma Farmer Representative (Nominated) Res. Soytkalan.
9. Shri Nandkunwar Songra Farmer Representative Res. Soytkalan (Nominated)
10. Shri Gokul Singh Sisodia, Farmer Representative Res. Kanwarakhedi (Nominated).
11. Shri Jawarilal Dangi, Farmer Representative Res. Kanwarakhedi (Nominated).
12. Smt. Bheribai Meghwal, Farmer Representative Res. Soytkalan (Nominated).
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, (Ex-officio Member) who is elected from the district, Shajapur.

14. A representative from Marketing Society. (Ex-officio Member)
15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department.. (Ex-officio Member)
16. A member from license holder weighmen of Mandi Samiti
17. Chairman of District Central Cooperative Bank. (Ex-officio Member)
18. Chairman of District Land Development Bank.. (Ex-officio Member)
19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat. (Ex-officio Member)

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित मंडी समितियों के मंडी क्षेत्र में भी अधिसूचित फलों एवं सब्जियों पर कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर दो रुपये की दर से मंडी फीस अधिरोपित करती है :—

क्रमांक	मंडी समिति का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1	राजगढ़	धार
2	सिंगरौली	सिंगरौली
3	बैकुण्ठपुर	रीवा

(2) परन्तु यह भी कि उक्त पैरा क्रमांक-1 में विनिर्दिष्ट मंडी फीस के स्थान पर केवल संतरे एवं केले के लिये मंडी फीस प्रत्येक सौ रुपये पर एक रुपये की दर से अधिरोपित की जाती है।

(3) यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2011

पृ. क्र. डी-15-28-2006-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 7th January 2011

No. D-15-28-2006-XIV-73.—In exercise of the powers conferred under sub-section 19 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby levies market fee at the rate of two rupees for every one hundred rupees of the price on fruits and vegetables in the market area of the following market committees :—

S. No.	Name of the market committee	District
(1)	(2)	(3)
1	Rajgarh	Dhar
2	Singrauli	Singrauli
3	Baikunthpur	Rewa

(2) Notwithstanding what is stated in para (1) the levy of market fee in the case of only oranges & bananas shall be at the rate of rupee one for every one hundred rupees of the price.

(3) This Notification shall come into force with effect from the date of publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़
(ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 18069-एस.सी.दो-2010.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर जिला राजगढ़ वर्ष 2011 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

क्रमांक	दिनांक	दिन (वार)	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11 मार्च 2011	शुक्रवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	24 मार्च 2011	शुक्रवार	रंगपंचमी
3	27 अक्टूबर 2011	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन गोवर्धन/बलि पूजा अन्नकूट.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 741-लायसेंस-2010.—प्रबंधक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई के पत्र दिनांक 15 फरवरी 2008 द्वारा मुंबई मनमाड बिजवासन पाईप लाईन एस. व्ही. स्टेशन 32 ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था. आवेदन की जांच पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आगर से अभिमत चाहा गया.

(2) पुलिस अधीक्षक, शाजापुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, आगर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पांचारूण्डी तहसील आगर के एस. व्ही स्टेशन 32 का सर्वे क्र. 388 रकबा 0-15 है. एवं सर्वे क्र. 390 रकबा 0-10 है. कुल रकबा 0-25 हैकटेयर को शासकीय गुप्त अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) व (घ) में दिये प्रावधान के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्र. 132-एस.सी.-2011.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, मोहनलाल, कलेक्टर, रायसेन वर्ष 2011 में रायसेन जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

स.क्र.	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	16-3-2011	बुधवार	उर्स पीर शाह फतेह उल्लाह साहब रायसेन.
2	24-3-2011	गुरुवार	रंगपंचमी
3	27-10-2011	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन

मोहनलाल, कलेक्टर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-10-11-373.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. सालेचौका जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	नरसिंहपुर/गाडरवारा	फैक्ट्री गेट	63	4907.86
			योग	4907.86

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते जब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

नर्मदा शुगर नरसिंहपुर क्षेत्र आरक्षण 2010-11

नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोड़ार (सालीचौका) गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11

क्र. (1)	गांव (2)	नया प.ह.नं. (3)	नोरपा (हेक्टेयर में) (4)	जड़ी (हेक्टेयर में) (5)	मड़ी (हेक्टेयर में) (6)	दूरी कि.मी. (7)	संभावित उत्पादन(टन/ हेक्टेयर में) (8)	कुल रकवा (हेक्टेयर में) (9)
1	आड़ेगांव	38	151.21	87.01	32.32	4.00	50	270.54
2	ढाना	57	7.09	1.22	0.00	9.00	50	8.30
3	डुंगरिया	21	82.22	25.52	2.43	8.00	50	110.16
4	ढिंगसरा	20	43.34	10.13	1.62	11.00	50	55.08
5	धनौरा	22	10.33	7.70	0.61	11.00	50	18.63
6	खैरी	53	4.25	1.22	0.00	12.00	50	5.47
7	पोड़ार	37	47.18	29.87	2.84	3.00	50	79.89
8	सहावन	40	143.57	99.63	58.02	6.00	50	301.22
9	छोटी बाबई	45	22.68	20.96	8.51	7.00	50	52.14
10	पनागर	39	37.46	21.87	4.86	7.00	50	64.19
11	खिरिया	23	23.29	12.15	3.24	9.00	50	38.68
12	केशला	45	20.25	13.47	3.85	8.00	50	37.56
13	मौरगांव	47	40.91	34.22	7.70	11.00	50	82.82
14	खैरूआ	41	175.16	143.57	34.63	8.00	50	353.36
15	आमढाना	41	20.66	13.57	2.84	3.00	50	37.06
16	सांवरी	41	28.76	26.73	8.30	4.00	50	63.79

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	खमरिया	37	35.64	21.47	3.65	5.00	50	60.75
18	पिठवानी	24	18.83	3.24	0.00	6.00	50	22.07
19	बेलखेड़ी	51	32.60	17.82	4.86	5.00	50	55.28
20	जाईखेड़ा	36	37.87	20.66	3.75	6.00	50	62.27
21	नांदनैर	34	104.69	54.47	26.53	8.00	50	185.69
22	दहलवाड़ा	25	69.05	52.25	13.57	10.00	50	134.87
23	घुटंगो	35	41.31	26.12	16.20	16.00	50	83.63
24	झांझनखेड़ा	96	87.89	61.46	22.88	15.00	50	172.23
25	आमगांव	97	82.11	58.12	27.74	12.00	50	167.97
26	छोटी बनखेड़ी	35	28.15	12.15	3.85	7.00	50	44.15
27	खुर्शीपार	33	215.87	119.48	33.21	16.00	50	368.55
28	पाली खैरी	53	26.53	7.09	0.00	17.00	50	33.62
29	चौदोन	32	5.67	2.84	0.00	16.00	50	8.51
30	ज्वारा	32	45.36	18.63	0.00	15.00	50	63.99
31	सुपारी	32	19.04	0.00	0.00	17.00	50	19.04
32	कामती खैरी	123	21.47	25.72	4.05	15.00	50	51.23
33	गरूण	103	62.37	47.39	3.65	21.00	50	113.40
34	वनबारी	23	140.94	84.85	26.12	20.00	50	251.91
35	देतपोन	18	21.87	7.29	2.84	23.00	50	32.00
36	सेठान	18	14.38	5.27	5.67	23.00	50	25.31
37	देवरी	53	89.10	44.55	15.80	16.00	50	149.45
38	मिढ़वानी	26	41.92	30.17	2.84	16.00	50	74.93
39	झिरिया	17	9.32	5.67	0.00	29.00	50	14.99
40	करहैया	17	10.94	0.41	0.00	29.00	50	11.34
41	रमपुरा	12	26.73	11.75	0.00	19.00	50	38.48
42	पिपरियाखुर्द	54	41.72	18.63	1.62	27.00	50	61.97
43	सासबहू	28	99.63	19.44	2.43	20.00	50	121.50
44	टेकापार	13	4.46	4.86	0.00	30.00	50	9.32
45	उड़नी पिपरिया	17	11.34	1.62	0.00	30.00	50	12.96
46	कोसकरपा	22	20.05	0.81	0.00	17.00	50	20.86
47	सालीचौका	45	73.91	51.64	6.89	8.00	50	132.44
48	अमाड़ा	43	95.78	60.95	10.73	11.00	50	167.47
49	बारछी	50	18.43	10.13	3.24	11.00	50	31.79
50	पचामा	42	36.06	56.60	9.32	11.00	50	151.98
51	भटरा	42	28.35	17.21	7.09	11.00	50	52.65
52	इमलिया	61	29.57	18.83	2.43	13.00	50	51.23
53	बारहा	58	4.66	1.42	0.00	17.00	50	6.08
54	बसुरिया	49	89.71	72.70	27.54	12.00	50	189.95
55	बम्होरी	31	10.53	11.34	0.00	21.00	50	21.87
56	बरहैटा	92	4.46	2.43	0.00	30.00	50	6.89
57	खिरैटी	7	0.81	0.00	0.00	34.00	50	0.81
58	मेहरागांव	3	7.70	6.08	0.00	43.00	50	13.77
59	मुँआर	2	3.65	5.67	0.00	44.00	50	9.32
60	निवावर	4	1.62	0.00	0.00	43.00	50	1.62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	सिरसिरी	1	0.00	3.24	0.00	44.00	50	3.24
62	संदूक	1	0.00	0.81	0.00	44.00	50	0.81
63	तूमड़ा	6	14.78	0.00	0.00	39.00	50	14.78
			2910.57	1733.04	480.45			4907.86

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2010

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-10-11-375.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कौड़िया, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	नरसिंहपुर/गाडरवाड़ा	फैक्ट्री गेट	102	4780.80
			योग	4780.80

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कौड़िया गन्ना आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2010-11

क्र. (1)	गांव (2)	प.ह.नं. (3)	नोरपा (4)	जड़ी (5)	मड़ी (6)	कुल रकबा हेक्टेयर में (7)	दूरी कि. मी. (8)	संभावित उत्पादन टन हेक्टेयर (9)	केन्द्र (10)
1	चिरहा	100	5.6	2.2	0	7.8	9	50	उद्योग
2	चामचौन	101	15.2	6	0.4	21.6	11	50	परिसर
3	बगदरा	104	1.4	4.8	0	6.2	13	50	कौड़िया.
4	घौखेड़ा	107	5.8	5.2	0	11	13	50	
5	खापा	104	2.6	3.8	1	7.4	11	50	
6	अट्टाईसा	123	14	2.6	2.4	19	10	50	
7	भैसा	122	41.4	41.6	0	83	10	50	
8	खैरी	123	7.6	2.4	0	10	15	50	
9	खकरिया	112	7	0.8	0	7.8	13	50	
10	गूजर खेड़ा	112	7.2	0	0	7.2	17	50	
11	भटेरा	111	1.4	2	1.4	4.8	15	50	
12	पलोहा	108	15.2	8.8	3.6	27.6	16	50	
13	रिछावर	109	6.4	3.2	4.4	14	14	50	
14	अमोदा	109	7.2	4.8	0	12	22	50	
15	टिमरावन	110	1.2	1.2	1.6	4	18	50	
16	नरवारा	113	34.8	32.8	2	69.6	13	50	
17	बिछुआ	114	13.2	10.4	0.2	23.8	13	50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	कौड़िया	115	93	54.8	3.6	151.4	5	50	
19	कारजूनगर	110	22.6	22.4	1.6	46.6	20	50	
20	सुकरी	122	38.6	27.6	5.6	71.8	6	50	
21	इमलिया सूकरी	122	9.6	4.4	0.8	14.8	7	50	
22	गुनवे	126	26.8	20.8	3.2	50.8	8	50	
23	लीलवानी	121	68	56	7.4	131.4	10	50	
24	सडूमर	120	55	34	2.4	91.4	9	50	
25	मेहगंवा	126	41.2	27.6	14.4	83.2	7	50	
26	चिरिया	125	61.2	37.6	12.4	111.2	5	50	
27	कोठिया	115	19.4	10.4	1.2	31	14	50	
28	सिगौठा	126	3.2	0.8	1.2	5.2	15	50	
29	बरली	95	21.6	19.2	2	42.8	7	50	
30	बरेठा	92	23	18	2.4	43.4	7	50	
31	केकड़ा	92	20.4	12	1.2	33.6	6	50	
32	अमई	127	9.4	5.8	3.6	18.8	5	50	
33	नयागांव	127	25.8	12.2	2.4	40.4	6	50	
34	सुपारी	128	25.6	10.2	0.4	36.2	10	50	
35	लाखा	129	5.6	4	0	9.6	10	50	
36	देगुवा	128	34.6	30.6	0.4	65.6	10	50	
37	सलैया	119	21.2	15.6	2.8	39.6	15	50	
38	तिगवा	128	23.2	22.4	0	45.6	16	50	
39	दहरा	128	15.6	10.8	0	26.4	10	50	
40	रेहली	128	28	29	2.2	59.2	8	50	
41	ढाड़िया	129	40.2	25.8	7.4	73.4	10	50	
42	बोहानी	131	101.2	61.6	27.6	190.4	5	50	
43	बरांझ	133	55	28.6	13.4	97	5	50	
44	मनकवाड़ा	132	27	14.4	5.2	46.6	6	50	
45	गगनवाड़ा	133	12	5.6	2.4	20	6	50	
46	मटवाड़ा	156	18.4	16.4	1.8	36.6	10	50	
47	बम्हौरी	133	23	15.8	3	41.8	7	50	
48	चिरचिरा	130	22.8	16.4	3.8	43	6	50	
49	मरका	130	17	11.8	2.2	31	7	50	
50	खिरिया	129	14.8	14.2	2.6	31.6	10	50	
51	दुधवारा	130	17	14	1.2	32.2	10	50	
52	टेकापार	156	30.2	20.2	2	52.4	10	50	
53	सुजवारा	130	20.4	20.2	5.4	46	6	50	
54	घाट पिपरिया	132	21.2	7.2	0	28.4	5	50	
55	कजरोटा	132	16.6	9.6	0.8	27	8	50	
56	करैया	17	12.6	10.8	0	23.4	16	50	
57	पिठैरा	17	0	1	0	1	9	50	
58	घघरौला	117	12.8	7.2	0	20	21	50	
59	पटना	117	10.8	10.4	0	21.2	21	50	
60	लिंगा	117	3.4	1.2	0	4.6	25	50	
61	मुड़िया	118	8	6	0.4	14.4	16	50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
62	सगौरिया	139	26	12.2	1	39.2	19	50	
63	कुसमी	139	25.6	16.4	1.4	43.4	16	50	
64	डुंगरिया	141	54.4	31.8	0	86.2	17	50	
65	ईमझिरी	137	81.4	65	9.6	156	16	50	
66	भौरझिर	118	56	38	2	96	20	50	
67	घोरपुर	118	6	4.4	0.8	11.2	15	50	
68	ईमलिया पटलोन	93	9.2	4.4	0.4	14	11	50	
69	रेहगवां	152	22.4	16	5	43.4	20	50	
70	कान्हरगांव	66	10.8	57.2	1.4	69.4	13	50	
71	दिघौरी	67	24.2	9.2	4.4	37.8	12	50	
72	थलवांडा	6	52.2	59.2	19.2	130.6	18	50	
73	मेहगंवा खुर्द	65	45	41.2	0.2	86.4	15	50	
74	मेहगंवा कला	65	74.6	58.8	6	139.4	16	50	
75	दहलवाड़ा	77	68.8	45.6	6	120.4	18	50	
76	खैरी सुदरास	68	40.2	30.8	6	77	15	50	
77	जमाड़ा	94	35.4	16.8	2.8	55	15	50	
78	भभूतखेड़ा	95	18.2	12	1.6	31.8	17	50	
79	बरेली कठौटीया	95	24.2	17.6	8.8	50.6	14	50	
80	कठौटीया बरेली	95	30	23.6	1.6	55.2	7	50	
81	पिपरिया ईमलिया	60	18.4	14.4	0	32.8	7	50	
82	सीरगांव	60	20.2	12.4	2.4	35	10	50	
83	भुमका कठौटीया	60	32	15.2	1.2	48.4	10	50	
84	ईमलिया पिपरिया	60	41.4	22	0.2	63.6	11	50	
85	घुरसुरी	60	5.4	4.8	0	10.2	15	50	
86	गोलगांवकला	61	21.8	14.8	7.2	43.8	14	50	
87	उकासघाट	61	11	3.2	0	14.2	24	50	
88	बगलई	61	36.4	28	0.8	65.2	20	50	
89	मऊ	61	27	11.6	6	44.6	19	50	
90	तेंदुखेड़ा	73	8	8.8	0.2	17	27	50	
91	घघरौला	73	3.8	3	3.2	10	21	50	
92	सुखाखैरी	75	47.8	38.8	8.2	94.8	19	50	
93	चारगांव कला	78	26.4	17.2	2.8	46.4	17	50	
94	आड़ेगांव	80	64.8	38	1	103.8	4	50	
95	सिंगपुर छोटा	81	87.8	66.8	8.6	163.2	5	50	
96	पोआरिया	81	9.2	5.6	0	14.8	10	50	
97	इकलोनी सिंगपुर	81	11	5.6	0.6	17.2	11	50	
98	महलवाड़ा	55	0.8	0.4	0	1.2	12	50	
99	ढाना	57	10	11.2	1.4	22.6	21	50	
100	चीचली	76	4	2.6	0	6.6	15	50	
101	कौठिया	115	15	6.8	0.8	22.6	14	50	
102	गाडरवाड़ा	99	52.6	36.8	1.6	91	7	50	
कुल रकबा (हेक्टेयर में)			2832.6	2007	319	4780.80			

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. भूमि संपादन-2010-8492.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द	0.711	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन. प्राधिकरण की योजना पी 8/90 (त्रिवेणी विहार योजना) क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		मालनवासा	1.147	
		योग . .	<u>1.858</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2010-8493.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उज्जैन	उज्जैन	गोयलाखुर्द	0.836	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन. प्राधिकरण की योजना पी 23 क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		मालनवासा	1.159	
		निर्मित	0.020	
		योग . .	<u>2.015</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2010-8496.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाना (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	नागझिरी	0.928	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन.	प्राधिकरण की योजना पी 1/87 (क्षिप्रा विहार योजना) योजना क्रियान्वयन हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		निर्मित	0.050		
		मालनवासा	6.820		
		शकरवासा	1.408		
		निर्मित	0.020		
		योग . .	<u>9.226</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-05-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मडोर	424	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			426	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			427	0.01	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 2 आर
			584	0.04		एवं सब मायनों के निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मडोर	668	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			671	0.20	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			676	0.06	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 2 आर
			680	0.04		एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
			688	0.12		
			690	0.27		
			691	0.05		
			692	0.01		
			693	0.33		
			694	0.01		
			701	0.05		
			702	0.04		
			703	0.01		
			711	0.04		
			728	0.01		
			733	0.06		
			735/1	0.12		
			735/2	0.10		
			736	0.09		
			738	0.01		
			739	0.01		
			741	0.02		
			742	0.28		
			743	0.07		
			745	0.02		
			746	0.02		
			751	0.02		
			752	0.09		
			753	0.06		
			757	0.02		
			778	0.02		
			779	0.09		
			797	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मडोर	798	0.09	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			799	0.08	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			801	0.02	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 2 आर
			802	0.27		एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु,
			811/1	0.24		
			811/5	0.17		
			811/6/1	0.09		
			811/6/2	0.11		
			816/1	0.01		
			818	0.27		
			819	0.27		
			834	0.22		
			839	0.06		
			840	0.08		
			863	0.09		
			876/4	0.04		
			884	0.11		
			885	0.02		
			886	0.09		
			887	0.10		
			889	0.05		
			890	0.06		
			891	0.06		
			892	0.09		
			893	0.02		
			894	0.05		
			895	0.03		
			929	0.02		
			931	0.01		
			932	0.09		
			933	0.14		
			950	0.07		
			951	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मडोर	952	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			959	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			960	0.04	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 2 आर
			961	0.04		एवं सब मायनरों के निर्माण हेतु.
			967	0.03		
			972	0.05		
			984	0.02		
			985	0.04		
			986	0.04		
			987	0.03		
			1258	0.07		
			1311	0.01		
			1313	0.06		
			1323	0.02		
			1324	0.11		
			1325	0.10		
			1326	0.17		
			1335	0.14		
		योग . .		6.63		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-06-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	टकांकला	122	0.30	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			124	0.07	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			155/1	0.03	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल
			159	0.05		एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	टकांकला	160	0.11	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनों के निर्माण हेतु.
			161	0.48		
			162	0.05		
			163	0.41		
			164	0.09		
			165	0.30		
			166	0.10		
			167	0.08		
			169	0.26		
			170	0.01		
			171	0.10		
			172	0.05		
			174	0.05		
			175/1			
			175/2	0.05		
			175/3			
			176	0.03		
			177	0.02		
			186	0.03		
			187	0.06		
			188	0.03		
			189	0.04		
			190	0.10		
			191	0.05		
			201	0.10		
			205	0.05		
			206	0.05		
			207	0.01		
			242	0.02		
			249/1	0.05		
			257/1	0.50		
			257/2	0.01		
			258	0.12		
			262	0.03		
			263	0.35		
			264	0.25		
			265	0.01		
			267	0.20		
			268	0.05		
			269	0.03		
			271	0.02		
			294	0.08		
			295	0.01		
			298	0.07		
			303	0.08		
			304	0.03		
			305	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	टकांकला	306	0.10	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल एवं 1 आर मायनों के निर्माण हेतु.
			307	0.03		
			308	0.04		
			330	0.07		
			331	0.03		
			332	0.03		
			333	0.11		
			339	0.35		
			340	0.06		
			341	0.07		
			343	0.05		
			344	0.03		
			396	0.10		
			401	0.13		
			402	0.25		
			403	0.35		
			404	0.10		
			405	0.03		
			406	0.07		
			407	0.10		
			408/1	0.10		
			410	0.40		
			411	0.10		
			412	0.55		
			413	0.12		
			414	0.03		
			415	0.02		
		मिन 435		0.03		
		मिन 436		0.30		
			437	0.10		
		438/1, 438/2		0.05		
		मिन 442		0.68		
			443	0.05		
			447	0.14		
			448	0.02		
			581	0.12		
		योग . .		<u>10.08</u>		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-15-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहदोरा	5	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दाया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना दाया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
			8	0.02		
			10	0.02		
			11	0.02		
			14	0.03		
			15	0.09		
			16	0.06		
			17	0.02		
			30	0.06		
			32	0.05		
			33	0.03		
			34	0.07		
			37	0.02		
			38	0.06		
			57	0.05		
			59	0.07		
			60	0.08		
			71	0.02		
			72	0.03		
			73	0.05		
74	0.05					
94	0.03					
95	0.05					
96	0.10					
97	0.05					
100	0.01					
101	0.02					
104	0.03					
105	0.03					
138	0.03					
140	0.15					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहदोरा	142	0.01	कार्यपालन यंत्रि, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			143	0.04	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			144	0.06	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल
			145	0.03		एवं 3 आर मायनरों के निर्माण
			159	0.02		हेतु.
			161	0.01		
			162	0.15		
			163	0.24		
			164	0.17		
			198	0.06		
			199	0.09		
			200	0.03		
			203	0.03		
			204	0.05		
			232	0.01		
			236	0.15		
			237	0.02		
			238	0.21		
			243	0.10		
			245	0.11		
			281	0.24		
			282	0.12		
			286	0.18		
			287	0.14		
			288	0.03		
			387	0.02		
			437/1	0.07		
			437/2	0.04		
			437/3	0.04		
			545	0.06		
			546	0.04		
			547	0.03		
			560	0.08		
			561	0.02		
			562	0.02		
			563	0.01		
			567	0.13		
			569	0.12		
			571	0.25		
			572	0.21		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहदोरा	638	0.18	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			639	0.01	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			640	0.10	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल
			661	0.15		एवं 3 आर मायनरों के निर्माण
			662	0.05		हेतु.
			666	0.03		
			667	0.03		
			669	0.01		
			670	0.01		
			682	0.03		
			685	0.15		
			686	0.02		
			687	0.08		
			717	0.08		
			718	0.04		
			719	0.20		
			720	0.07		
			721	0.06		
			722	0.08		
			730	0.20		
			731	0.12		
			732	0.18		
			757	0.03		
			796	0.03		
			798	0.17		
			799	0.09		
			800	0.08		
			803	0.18		
			809	0.08		
			810	0.04		
			813	0.08		
			826	0.05		
			893	0.18		
			896	0.03		
			898	0.02		
			899	0.02		
			900	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहदोरा	936	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल एवं 3 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
			946	0.08		
			948	0.03		
			950	0.34		
			951	0.22		
			952	0.12		
			953	0.20		
			954	0.05		
			955	0.34		
			956	0.13		
			958	0.56		
			961	0.21		
			971	0.05		
			972	0.16		
			973	0.05		
			1010	0.05		
			1011	0.16		
			1012	0.10		
			1018	0.01		
			1020	0.01		
			1021	0.07		
			1022	0.25		
			1027	0.02		
			1028	0.08		
			1029	0.34		
			1030	0.24		
			1034	0.01		
			1035	0.02		
			1037	0.01		
			1038	0.01		
			1048/2	0.09		
			1051	0.25		
			1063	0.18		
			1064	0.01		
			1065	0.05		
			1076	0.17		
			1102	0.21		
			1105	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	सहदोरा	1106	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1107	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			1119	0.01	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 3 एल
			1121	0.07		एवं 3 आर मायनरों के निर्माण
			1122	0.10		हेतु.
			1123	0.12		
			1124	0.11		
			1164	0.03		
			1165	0.01		
			1166	0.12		
			1167	0.01		
			1177	0.01		
			1181	0.06		
			1182	0.03		
			1183	0.13		
			1185	0.16		
			1189	0.08		
			1190	0.02		
			1192	0.05		
			1194	0.04		
			1195	0.07		
			1196	0.03		
			1197	0.04		
			1203	0.01		
			1206	0.05		
			1208	0.16		
			1209	0.09		
			1210/1	0.17		
			1210/2	0.12		
			1211	0.12		
			1215	0.09		
			1216	0.20		
			1217	0.02		
			1218	0.05		
			1219	0.04		
		योग . .		<u>15.29</u>		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-16-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4 एल माईनर						
शिवपुरी	नरवर	लमकना II	109	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना दांया तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 4 आर, 4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			110	0.09		
			111	0.02		
			112	0.03		
			910	0.04		
			912	0.05		
			913	0.03		
			914	0.22		
			918	0.08		
			919	0.24		
			920	0.02		
			1009	0.04		
			1010	0.09		
			1011	0.03		
			1012/2	0.10		
			1013	0.07		
			1014	0.03		
			1018	0.01		
			1019	0.03		
			1020/1	0.17		
			1020/2	0.01		
			1021	0.03		
			1026	0.04		
			1027	0.07		
			1028	0.09		
			1029	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना II	1077	0.05	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1078	0.01	दांया तट नहर संभाग करैस, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			1080	0.13	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 4 आर,
			1081	0.08		4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6
			1082	0.01		एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			1085	0.04		
			1120	0.09		
			1121	0.04		
			1128	0.05		
			1129	0.18		
			1130	0.05		
			1131	0.03		
			1132	0.03		
			1134	0.05		
			1135	0.04		
			1136	0.08		
			1137	0.03		
			1145	0.01		
			1146	0.03		
			1147	0.02		
			1148	0.03		
			1151	0.02		
			1152	0.02		
			1153	0.02		
			1154	0.02		
			1191	0.01		
			1192	0.03		
			1193	0.12		
			1194	0.06		
			1195	0.03		
			1244	0.13		
			1245	0.14		
			1246	0.06		
			1265	0.07		
			1266/1	0.09		
			4 आर माईनर			
			573	0.03		
			591	0.10		
			596	0.10		
			597	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना II	598	0.05	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			599	0.10	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			613	0.14	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 4 आर,
			615	0.03		4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6
			616	0.07		एल मायनों के निर्माण हेतु.
			619	0.10		
			620	0.15		
			621	0.04		
			623	0.05		
			624	0.04		
			625	0.03		
			626	0.04		
			641	0.12		
			642	0.11		
			643	0.03		
			644	0.03		
			5 एल माईनर			
			255	0.01		
			256/3	0.04		
			257	0.02		
			259	0.02		
			260	0.04		
			266	0.14		
			267	0.01		
			272	0.10		
			273	0.04		
			279	0.01		
			280	0.14		
			283	0.06		
			530	0.04		
			531	0.23		
			538	0.01		
			539	0.03		
			540	0.10		
			541	0.06		
			542	0.06		
			543	0.06		
			548	0.10		
			552	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना II	568	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			570	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			571	0.04	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 4 आर,
			572	0.11		4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6
			573	0.08		एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			5 आर माईनर			
			382	0.06		
			401	0.02		
			402	0.05		
			403	0.02		
			404	0.03		
			405	0.08		
			406	0.09		
			407	0.04		
			414	0.12		
			415	0.05		
			416	0.06		
			417	0.03		
			437	0.24		
			439	0.05		
			440	0.03		
			442	0.02		
			443	0.05		
			444	0.07		
			445	0.15		
			449	0.05		
			450	0.10		
			6 एल माईनर			
			49	0.06		
			50	0.03		
			51	0.03		
			52	0.03		
			55	0.13		
			59	0.08		
			296	0.13		
			298	0.06		
			299	0.01		
			301/1	0.15		
			321/1	0.02		
			322	0.22		
			324	0.04		
			328	0.10		
			329/1	0.02		
			329/2	0.02		
			330	0.10		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना II	334	0.05	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			335	0.04	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात्) की
			336	0.20	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा की 4 आर,
			337	0.01		4 एल, 5 आर, 5 एल एवं 6
			338	0.07		एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			339	0.02		
			504	0.01		
			505	0.03		
			513	0.04		
			514	0.04		
			515	0.01		
			516	0.05		
			517	0.05		
			518	0.03		
			519	0.04		
			520	0.13		
			522	0.14		
			523/1	0.01		
			योग . .	10.36		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-17-10-11-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना I	373/2अ	0.15	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			380	0.06	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात) की
			381	0.08	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर,
			382	0.10		एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			383	0.12		
			384	0.15		
			386	0.17		
			387	0.19		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना I	388	0.09	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			389	0.07	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात) की
			390	0.07	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 3 आर,
			392	0.11		एवं 3 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			400	0.12		
			401	0.11		
			496	0.11		
			502	0.05		
			503	0.35		
			504	0.14		
			505	0.03		
			507	0.34		
			558	0.03		
			561	0.30		
			564	0.25		
			565	0.22		
			566	0.03		
			567	0.20		
			568	0.10		
			573	0.12		
			574/1	0.02		
			574/2	0.18		
			582/1	0.04		
			582/2	0.90		
			595	0.03		
			879	0.12		
			880	0.12		
			882	0.01		
			883	0.10		
			884	0.10		
			885	0.24		
			1071	0.15		
			1072	0.22		
			1073	0.23		
			1074	0.04		
			1075	0.05		
			1076	0.02		
			1089	0.10		
			1090	0.13		
			1091	0.27		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना I	1092	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1094	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात) की
			1095	0.08	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल
			1096	0.40		एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
			1097	0.12		
			1247	0.05		
			1262	0.03		
			1264	0.23		
			1265	0.37		
			1268	0.01		
			1334	0.01		
			1335	0.03		
			1336	0.15		
			1337	0.05		
			1339	0.25		
			1340	0.20		
			1343/3	0.02		
			1360	0.40		
			1361	1.01		
			1362	0.06		
			1364	0.03		
			3 आर माईनर			
			709	0.02		
			710	0.02		
			735	0.04		
			738	0.03		
			739	0.02		
			740	0.06		
			741	0.06		
			742	0.01		
			747	0.05		
			748	0.04		
			749	0.03		
			752	0.02		
			753	0.04		
			754/2	0.02		
			758	0.02		
			759	0.07		
			760	0.02		
			762	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना I	763	0.04	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			764	0.03	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात) की
			767	0.02	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल
			768	0.04		एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
			769	0.04		
			770	0.01		
			1303	0.06		
			1305	0.12		
			1313	0.11		
			1314	0.02		
			1315	0.11		
			1317	0.01		
			1318	0.25		
			1323	0.04		
			1324	0.05		
			1325/1	0.04		
			1325/2	0.09		
			1326	0.12		
			1327	0.09		
			3 एल. माईनर			
			951	0.04		
			952	0.06		
			953	0.02		
			954	0.04		
			955	0.02		
			956	0.01		
			957	0.05		
			978	0.01		
			979	0.04		
			980	0.04		
			981	0.02		
			982	0.01		
			983/1	0.09		
			983/2	0.01		
			984	0.01		
			985	0.02		
			986	0.01		
			987	0.02		
			988	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	लमकना I	991	0.04	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			992	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी के पश्चात) की
			993	0.04	शिवपुरी म. प्र.	डी-7 वितरण शाखा तथा 1 एल
			994	0.04		एवं 1 आर मायनरों के निर्माण हेतु.
			1001	0.02		
			1223	0.02		
			1224	0.05		
			1225	0.01		
			1226	0.04		
			1227	0.10		
			1228	0.05		
			1233	0.06		
			1234	0.01		
			1235	0.10		
			1236	0.04		
			1237	0.12		
			1349	0.20		
			1352	0.01		
			1353	0.08		
			1354	0.11		
		योग . .		<u>14.12</u>		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-18-भू-अर्जन-10-11-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	787	0.08	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			788	0.07	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			793	0.13	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			794	0.07		के निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	826	0.01	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1673	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			1674	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			1676	0.01		के निर्माण हेतु.
			1678	0.02		
			1689	0.02		
			1690	0.08		
			1698	0.30		
			1700	0.15		
			1701	0.20		
			1702	0.03		
			1706	0.14		
			1707/1	0.08		
			1707/2	0.08		
			1707/3	0.06		
			1707/4	0.02		
			1708	0.10		
			1709	0.14		
			1711	0.20		
			1713	0.12		
			1715	0.09		
			1834	0.01		
			1946	0.01		
			2021	0.07		
			2122	0.08		
			2090	0.02		
			2091	0.03		
			2118	0.03		
			2119	0.02		
			2146	0.05		
			2235	0.01		
			2236	0.03		
			2237	0.05		
			2239/1	0.07		
			2239/2	0.02		
			2240	0.10		
			2248	0.01		
			2254	0.04		
			2255	0.03		
			2256	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	2257	0.02	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			2259	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			2260	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			2299	0.01		के निर्माण हेतु.
			2300	0.01		
			2301	0.02		
			2302	0.01		
			2303	0.02		
			2332	0.01		
			2333	0.02		
			2334	0.03		
			2335	0.03		
			2336	0.03		
			2337	0.03		
			2339	0.01		
			2340	0.01		
			2341	0.01		
			2342	0.01		
			2343	0.01		
			2344	0.02		
			2353	0.03		
			2354	0.05		
			2368	0.01		
			2369	0.01		
			2370	0.02		
			2371	0.01		
			2379	0.02		
			2380	0.04		
			2381	0.02		
			2382	0.02		
			2383	0.01		
			2384	0.02		
			2385	0.02		
			2386	0.01		
			2391	0.01		
			2392	0.01		
			2435	0.03		
			2436	0.03		
			2437	0.03		
			2439	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	2440	0.01	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			2455	0.01	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			2456	0.07	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			2457	0.01		के निर्माण हेतु.
			2458	0.02		
			2459	0.02		
			2460	0.04		
			2461	0.02		
			2462	0.02		
			2463	0.01		
			2475	0.01		
			2476	0.01		
			2477	0.02		
			2478	0.02		
			2479	0.02		
			2480	0.03		
			2481	0.03		
			2482	0.01		
			2483	0.02		
			2488	0.02		
			2489	0.01		
			2490	0.02		
			2491	0.06		
			2492	0.01		
			2493	0.03		
			2494	0.01		
			2495	0.01		
			2497	0.01		
			2498	0.01		
			2507	0.01		
			2629	0.03		
			2671	0.03		
			2674	0.04		
			2677	0.01		
			2678	0.04		
			2685	0.02		
			2686	0.02		
			2687	0.02		
			2689	0.01		
			2744	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	2754	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			2755	0.04	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			2756	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			2768	0.02		के निर्माण हेतु.
			2769	0.02		
			2770	0.02		
			2774	0.02		
			2775	0.03		
			2776	0.03		
			2777	0.01		
			2781	0.02		
			2782	0.09		
			2784	0.06		
			2785	0.05		
			2786	0.06		
			2787	0.01		
			2792	0.01		
			2793	0.01		
			2794	0.01		
			2795	0.02		
			2796	0.03		
			2798	0.01		
			2800	0.01		
			2801	0.06		
			2802	0.03		
			2810	0.04		
			2825	0.01		
			2927	0.30		
			2934	0.02		
			3120	0.01		
			3121	0.03		
			3122	0.03		
			3123	0.03		
			3139	0.03		
			3142	0.04		
			3143	0.07		
			3146	0.03		
			3147	0.05		
			3148	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	3150	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			3153	0.01	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			3154	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			3159	0.01		के निर्माण हेतु.
			3164	0.05		
			3165	0.11		
			3166	0.01		
			3167	0.04		
			3168	0.03		
			3170	0.07		
			3171	0.06		
			3172	0.05		
			3195	0.03		
			3196	0.02		
			3197	0.01		
			3201	0.01		
			3237	0.05		
			3239	0.20		
			3245	0.01		
			3246	0.30		
			3252	0.60		
			1 एल माईनर			
			840	0.14		
			841	0.05		
			842	0.04		
			858	0.05		
			1710	0.01		
			1829	0.01		
			1833	0.01		
			1835	0.05		
			1839	0.01		
			1942	0.03		
			1943	0.03		
			1944	0.01		
			1945	0.02		
			1947	0.02		
			1948	0.02		
			1958	0.02		
			1959	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	1960	0.01	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1975	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			1976	0.05	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			1978	0.08		के निर्माण हेतु.
			2027	0.02		
			2028	0.03		
			2031	0.05		
			2032	0.03		
			2089	0.01		
			2093	0.01		
			2120	0.01		
			2121	0.02		
			2122	0.03		
			2145	0.05		
			2223	0.01		
			2241	0.06		
			2378	0.01		
			2438	0.05		
			2441	0.01		
			2464	0.01		
			2496	0.01		
			2508	0.02		
			2509	0.01		
			2521	0.06		
			2630	0.04		
			2640	0.01		
			2641	0.04		
			2642	0.02		
			2643	0.01		
			2644	0.05		
			2645	0.03		
			2672	0.03		
			2673	0.03		
			2679	0.03		
			2688	0.05		
			2724	0.02		
			2725	0.09		
			2726	0.11		
			2727	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	करही	2745	0.02	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			2762	0.02	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			2763	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 1 एल मायनर
			2773	0.01		के निर्माण हेतु.
			2809	0.02		
			2811	0.03		
			2812	0.01		
			2813	0.02		
			2814	0.01		
			2824	0.01		
			3144	0.01		
			3212	0.02		
			3214	0.02		
			3215	0.11		
			3216	0.03		
			3217	0.01		
			3218	0.01		
			3219	0.01		
			3233	0.01		
			3243	0.01		
			योग . .	9.88		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-19-10-11-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन का		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	307	0.08	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			308	0.06	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			309	0.05	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			310	0.01		एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			311	0.06		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	317	0.17	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			319	0.10	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			327	0.07	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			331	0.05		एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			332	0.07		
			347	0.06		
			348	0.33		
			349	0.01		
			350	0.09		
			355	0.01		
			356	0.03		
			357	0.22		
			433	0.04		
			434	0.03		
			435	0.07		
			436	0.01		
			437	0.11		
			438	0.03		
			439	0.01		
			440	0.01		
			441	0.12		
			442	0.14		
			443	0.14		
			444	0.17		
			445	0.10		
			446	0.09		
			447	0.03		
			660	0.02		
			661	0.30		
			662	0.17		
			663	0.01		
			664	0.30		
			666	0.36		
			667	0.20		
			717	0.26		
			719	0.57		
			720	0.20		
			721	0.03		
			722	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	723	0.34	कार्यपालन यंत्रि, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			724	0.05	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			731	0.01	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			804	0.01		एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			805	0.02		
			807	0.34		
			808	0.37		
			809	0.01		
			811	0.11		
			812	0.07		
			813	0.01		
			859	0.07		
			860	0.04		
			862	0.01		
			869	0.13		
			870	0.05		
			871	0.03		
			872	0.28		
			873	0.32		
			878	0.03		
			879	0.04		
			880	0.04		
			881	0.05		
			882	0.07		
			883	0.22		
			884	0.02		
			885	0.18		
			886	0.01		
			887	0.23		
			888	0.01		
			889	0.05		
			893	0.20		
			894	0.09		
			895	0.03		
			896	0.03		
			898	0.09		
			899	0.05		
			911	0.01		
			912	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	914/1	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			914/2	0.07	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			915/1	0.15	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			1162	0.16		एल एवं 8 एल मायनरों के निर्माण हेतु.
			1163	0.36		
			1164	0.07		
			1311	0.01		
			1312	0.11		
			1313	0.11		
			1314	0.06		
			1315	0.05		
			1317	0.14		
			1318	0.09		
			1319	0.05		
			1320	0.01		
			1333	0.04		
			1334	0.03		
			1340	0.15		
			1341	0.05		
			1342	0.05		
			1343	0.08		
			1344	0.03		
			1346	0.18		
			1347	0.04		
			1368	0.06		
			1369	0.10		
			1370	0.01		
			1374	0.01		
			1375	0.04		
			1377	0.01		
			1378	0.21		
			1379	0.09		
			1381	0.01		
			1403	0.01		
			1404	0.10		
			1405	0.07		
			1406	0.09		
			1407	0.04		
			1408	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	1868	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			1869	0.12	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			1870	0.06	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			1871	0.03		एल एवं 8 एल मायनों के निर्माण हेतु.
			1872	0.02		
			1873	0.07		
			1874	0.05		
			1875	0.08		
			1876	0.01		
			1877	0.16		
			1886	0.13		
			1888	0.01		
			1889	0.16		
			1899	0.02		
			1900	0.08		
			1902	0.06		
			1926	0.01		
			1930	0.04		
			1931	0.11		
			1933	0.05		
			1934	0.01		
			1937	0.03		
			1952	0.02		
			1964	0.10		
			1965	0.33		
			1968	0.14		
			1995	0.02		
			2001	0.17		
			2002	0.09		
			2003	0.11		
			2004	0.16		
			2005	0.14		
			2006	0.25		
			2011	0.32		
			2012	0.15		
			2018	0.16		
			2019	0.12		
			2033	0.03		
			2035	0.45		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	राजपुर	2036	0.70	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना	सिंध परियोजना दांया तट नहर
			2037	0.69	दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला	(महुअर नदी तक की) डी-4
			2038	0.55	शिवपुरी म. प्र.	वितरिका शाखा तथा 6 एल 7
			2039	0.13		एल एवं 8 एल मायनों के निर्माण हेतु.
			2059	0.20		
			2063	0.15		
			2065	0.37		
			2066/1	0.05		
			2068	0.03		
			2070	0.05		
			2080	0.01		
			2081	0.03		
			योग . .	18.89		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 277-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गोंडखेड़ा	2.48	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 276-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	उटावद	2.79	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 279-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बावड़िया	2.52	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 04-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 306-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	केहलारी	7.73	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 278-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	केनूद	1.90	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 304-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलवां बुजुर्ग	1.99	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 07-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 274-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जलकुआँ	0.34	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 305-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दैत	2.51	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 09-अ-82-10-11 नस्ती क्रमांक 303-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोदवार	0.22	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 6 जनवरी, 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 324-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चांदेल	0.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 13-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 326-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भादलीखेड़ा	1.48	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 331-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	जामन्या	1.76	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-15-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 332-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दोहद	0.98	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-16-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 327-2010 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत

करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कोड़िया खेड़ा	1.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-17-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पुनासा	3.510	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-18-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 328-10 एलए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भिलाई	1.01	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 330-10 एलए.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	फेफरिया कला	0.61	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-20-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 329-10 एलए.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	मोहन्या खुर्द	0.52	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक-21-अ-82-09-10 नस्ती क्रमांक 325-10 एलए.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 04 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सीवर रै.	1.36	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 25, नर्मदानगर.	पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 31 दिसम्बर 2010

क्र. 11189-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-गंगई ब.नं.-120 प. ह. न.-25 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा-2.	0.600 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा.	गंगई जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी सालीढाना सर्वेक्षण परियोजना उप-संभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 618-भू-अर्जन-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	जरैला	0.497	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रीवा संभाग रीवा.	जरमोरा बांध नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) जरमोरा बांयी तट नहर निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	खरपरिया ह. नं. 20	0.11	संभागीय प्रबंधक, राज्य वन विकास निगम लिमिटेड मोहगांव, परियोजना मंडल, मण्डला.	वृक्षारोपण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 10 जनवरी 2011

प्र. क्र. 5-अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	गढ़पेहरा	2.653	कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्ट्रिक्ट संभाग नरसिंहपुर.	मुख्य नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन शाखा में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 6-अ-82 वर्ष 2010-11 पत्र क्र. 5-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	पचौरी	0.695	कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. डिस्ट्रिक्ट संभाग नरसिंहपुर.	सिवनी वितरण नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के भू-अर्जन शाखा में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. 17-प्रका-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	शुकुलगवाँ	0.166	कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी नहर की धवैया डिस्ट्री- ब्यूटरी एवं धवैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 19-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा-4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पटना	0.160	कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर के अंतर्गत पिपरवार वितरक नहर एवं करारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 21-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा-4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु.	बुढ़िया	0.170	कार्यपालन यंत्री बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के क्योटी नहर की बुढ़िया माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्र. 274-प्र.भू-अर्जन-09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

क्रमांक	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	कुल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	
(1) 1	(2) सागर	(3) बम्होरी दूँढर	(4) 1	(5) 0.38	(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	(7) बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 275-प्र.भू-अर्जन-09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

क्रमांक	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	कुल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	
(1) 1	(2) सागर	(3) सानौधा	(4) 2	(5) 0.17	(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	(7) बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

क्र. 276-प्र.भू-अर्जन-09-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

क्रमांक	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	कुल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	
(1) 1	(2) सागर	(3) डुंगासरा	(4) 3	(5) 0.44	(6) संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.).	(7) बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सागर में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 11 जनवरी 2011

संशोधन

पत्र क्र.-367-भू-अर्जन-2010.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन हेतु अधिसूचना नियंत्रक, केन्द्रीय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल एवं संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, भोपाल को प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. जिसका प्रकाशन राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 2605 पर दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को तथा दो हिन्दी समाचार-पत्र, प्रभातकिरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 एवं स्वदेश समाचार-पत्र में दिनांक 3 अक्टूबर 2010 को हुआ. चूंकि अधिसूचना का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से नीचे दर्शाये अनुसार संशोधन निम्नानुसार है:—

जिला	तहसील	प्रकाशित हुआ		प्रकाशन होना था जो पढ़ा जावे	
		ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)		(4)	
धार	मनावर	उटावद	1.049	उटावद	1.738
		बेंचकुआ	0.310	बेंचकुआ	0.346
		रालामण्डल	0.205	रालामण्डल	0.440
		बैलाली	0.037	बैलाली	0.145

नोट:—अधिसूचना का शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

रा. मा. क्र. 10 अ-82-ए वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	निवारी	127	प्रबंध संचालक, बी. एल. ए.	140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह
			128/1	पावर प्रा. लि., गाडरवारा.	निर्माण हेतु.
			128/2		
			129		
			130		
			कुल योग : 6.491		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रा. मा. क्र. 11 अ-82-ए वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये 140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	ख. नं. रकवा (हे. में.) (4)	(5)		(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	पौड़ी	166/1, 167/1, 168/1, 0.405 169/1 166/3, 167/3, 0.607 168/3, 169/3 165 1.700 166/2 0.028 167/2 0.024 162/1 1.376 164/1 0.109 162/3 0.809 159 5.050 161 0.097 158/3 160/3, 162/5, 170/2 घ 0.809 171/3, 173/4 157/1 1.621 कुल योग . . 12.635	प्रबंध संचालक, बी. एल. ए. पावर प्रा. लि., गाडरवारा.		140 मेगावाट ताप विद्युत् गृह निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2010

पृ. क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नम्बर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	कस्बा, सिरोंज, कल्याणपुर, छीपीखेड़ी	10.258 2.410 0.632	भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज.	सिरोंज-बायपास निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
योग . .			13.300		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सिरोंज-बायपास के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 13 जनवरी 2011

(घ) कुल क्षेत्रफल—0.539 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
143	0.539

योग . . 0.539

क्र. 168-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—सांवेर

(ग) नगर/ग्राम—जैतपुरा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—220 के. व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर (द्वितीय) जैतपुरा के विस्तार हेतु अर्जन बावद्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	338	0.01
शिवपुरी, दिनांक 14 दिसम्बर 2010	379	0.01
	380	0.08
क्र. 623-भू-अर्जन-2010-11-03-09-10-अ-82.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	381	0.01
	385	0.03
	386	0.02
	390	0.03
	391	0.02
	392	0.02
	393	0.08
	396	0.04
	397	0.05
अनुसूची	398	0.04
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	407	0.05
(क) जिला—शिवपुरी	408/मिन	0.09
(ख) तहसील—नरवर	409	0.06
(ग) नगर/ग्राम—कल्याणपुर	410	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.23 हेक्टेयर.	414	0.15
खसरा नं.	432	0.07
	(हे. में)	433
(1)	(2)	434
21	0.02	435
23	0.02	437
25	0.19	438
46	0.05	455
47	0.01	460/2
60	0.06	461
61	0.03	462
62	0.02	463
63	0.06	464
67	0.02	474
68	0.01	757
82	0.04	758
83	0.01	768
84	0.08	778
85	0.02	782
88	0.04	783
89	0.06	779
335	0.03	781
336	0.02	789
337	0.02	790
		कुल योग . . .
		3.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा तथा 7 एल मायनर निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	200	0.12
	201	0.10
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.	257	0.06
	258	0.01
	261	0.11
	262	0.06
	276	0.11
	277	0.14
	278	0.05
	287/1	0.01
	287/2	0.03
	288	0.06
	289	0.03
	291	0.01
	292	0.10
		<u>2.57</u>

क्र. 616-भू-अर्जन-2010-11-06-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—बीजौर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.57 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
21	0.14
48	0.08
49	0.10
51	0.08
80	0.02
81	0.05
83	0.05
84	0.10
86	0.05
101	0.01
103	0.03
104	0.07
105	0.06
111	0.06
112	0.15
113	0.16
127	0.07
128	0.07
129	0.11
130	0.03
131	0.08

कुल योग . . .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा की टेल मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 602-भू-अर्जन-2010-11-07-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—खडीचा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.31 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
19	0.03
218	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
219	0.01	1112	0.12
249	0.13	1113	0.08
250	0.02	1114	0.54
251	0.10	1115	0.16
253	0.07	1116	0.01
254	0.08	1117	0.01
255	0.13	1118	0.20
294	0.05	1301	0.08
295	0.10	1398	0.22
302	0.03	1399	0.07
303	0.03	1400	0.01
304	0.11	1424	0.05
306	0.09	1425	0.05
317	0.20	1428	0.02
327	0.06	1429	0.14
328	0.08	1430	0.07
329	0.01	1437	0.24
330	0.09	1438	0.08
331	0.08	1439	0.01
341	0.08	1442	0.21
342	0.03	1490	0.02
343	0.16	1493	0.01
344	0.01	1495	0.06
393	0.18	1496	0.03
396	0.05	1565	0.18
397	0.05	1570	0.29
400	0.03	1571	0.05
418	0.30	1572	0.01
419	0.15	1576	0.02
423	0.05	1581	0.19
425	0.56	1582	0.09
426	0.30	1583	0.08
427	0.14	1645	0.03
428	0.08	1649	0.10
429	0.53	1650	0.22
430	0.01	1720	0.48
432	0.38	1722	0.25
435	0.35	1723	0.69
1104	0.10	1724	0.12
1105	0.10	1725	0.32
1106	0.26	1726	0.01
1107	0.36	1727	0.27
1110	0.36	1728	0.28
1111	0.15	1738	0.12

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—देहरेटा सानी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.15 हेक्टेयर.
1739	0.06		
1737/1	0.09	खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल
1737/2	0.01		(हे. में)
1740	0.40	(1)	(2)
1741	0.72	79	0.15
1742	0.34	80	0.05
1743	0.06	101/1	0.07
1744	0.05	101/2	0.06
1745	0.13	102	0.09
1747	0.10	103	0.10
1748	0.06	139	0.08
1749	0.74	140	0.08
1750/1	0.12	142	0.09
1750/2	0.33	182	0.07
1752	0.78	183	0.10
1753/1	0.19	247	0.02
1753/2	0.19	263	0.06
1753/3	0.07	264	0.17
1756	0.49	303	0.01
1757	0.75	318	0.01
कुल योग . .	<u>18.31</u>	319	0.04
		320	0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध		321	0.06
परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4		322	0.01
वितरण शाखा की 4 एल एवं 5 एल मायनर निर्माण हेतु.		324	0.05
		325/1	0.05
		325/2	0.15
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		326	0.04
		328	0.01
		354	0.15
		355	0.12
क्र. 630-भू-अर्जन-2010-11-08-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		356	0.02
		357	0.02
		358	0.07
		372	0.20
		373	0.07
		374	0.05
		375	0.18
		379	0.18
		380	0.22
		381	0.02
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि		386	0.02
(क) जिला—शिवपुरी		387	0.18
(ख) तहसील—नरवर		389	0.05
		390	0.12

(1)	(2)	(1)	(2)
391	0.07	719	0.01
392	0.18	724	0.08
393	0.01	725	0.32
394	0.33	726	0.02
455	0.11	728	0.01
456/1	0.17	729	0.09
457	0.09	730	0.09
467	0.18	732	0.15
468	0.16	736	0.07
470	0.25	737	0.07
471	0.16	745	0.12
475	0.01	746	0.08
478	0.03	747	0.02
479	0.13	748	0.02
480	0.08	749	0.11
481	0.10	753	0.05
517	0.10	754	0.01
518	0.01	768	0.26
519	0.04	769	0.01
520	0.05	780	0.21
521	0.08	781	0.08
538	0.01	784	0.02
539	0.14	785	0.06
544	0.13	788	0.01
546	0.15	789	0.21
548	0.01	790/1	0.10
560	0.02	919	0.01
563	0.05	920	0.06
564	0.05	922	0.10
568	0.08	923	0.03
572	0.02	926	0.06
573	0.21	927	0.04
574	0.05	कुल योग . .	<u>10.15</u>
593	0.06		
594	0.09	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध	
595	0.06	परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4	
598	0.14	वितरण शाखा तथा 12 आर एवं टेल मायनर निर्माण हेतु.	
625	0.06		
639	0.15	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-	
640	0.02	अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा	
660	0.09	सकता है.	
661	0.03		
662	0.10	क्र. 574-भू-अर्जन-2010-11-10-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य	
665	0.08	शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची	
718	0.10	के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—शिवपुरी

(ख) तहसील—नरवर

(ग) नगर/ग्राम—रावखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.48 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
22	0.06
93	0.01
95	0.07
96	0.13
97	0.15
98	0.04
107	0.01
108	0.10
109	0.08
110	0.08
127	0.12
128	0.20
130	0.01
143	0.40
146	0.20
147	0.08
148	0.11
150	0.04
151	0.12
152	0.09
153	0.18
154	0.07
155	0.25
156	0.36
157	0.04
158	0.03
160	0.20
161	0.07
162	0.06
163	0.12

(1)	(2)
164	0.14
165	0.26
166	0.02
184	0.04
185	0.04
186	0.08
187	0.12
188	0.15
191	0.23
192	0.11
193	0.06
194	0.10
196	0.03
197	0.09
232	0.06
233	0.06
235	0.07
236	0.03
237	0.07
238	0.05
273	0.09
275	0.08
276	0.03
277	0.02
279	0.17
283	0.01
284	0.01
353	0.25
355	0.07
356	0.05
357	0.06
363	0.04
364	0.21
365	0.05
368	0.05
कुल योग . .	<u>6.48</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा तथा 6 आर एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 637-भू-अर्जन-2010-11-12-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—पनौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.43 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
113	0.07
114	0.04
115	0.22
127	0.06
207	0.10
208	0.08
209	0.08
210	0.10
215	0.02
273	0.12
274	0.04
275	0.04
276	0.05
277	0.03
278	0.15
279	0.09
299	0.08
302	0.16
303	0.20
307	0.11
308	0.04
309	0.26
312	0.02
345/2	0.01
347	0.05
348	0.02

(1)	(2)
353	0.11
355	0.06
356	0.09
कुल योग . .	
	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी के पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा की 7 एल मायनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 581-भू-अर्जन-2010-11-14-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—चिताहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—03.73 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
46	0.01
48	0.05
49	0.03
68	0.06
71	0.07
72/ मिन	0.07
73	0.10
74	0.10
75	0.10

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—दौनी		
318	0.14	(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.02 हेक्टेयर.		
544	0.05		खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल
686	0.08			(हे. में)
710	0.03		(1)	(2)
711	0.03		16	0.07
713	0.32		17	0.14
715	0.01		66	0.01
730/मिन	0.08		67	0.07
731	0.02		68	0.08
732/मिन	0.04		70	0.04
748	0.18		71	0.10
760/मिन	0.01		91	0.07
761/मिन	0.34		110	0.07
766/मिन	0.03		128	0.05
767	0.03		129	0.06
768/मिन	0.04		131	0.08
769/मिन	0.02		145	0.09
770	0.01		146	0.01
771/मिन	0.45		147	0.10
कुल योग . .	<u>3.36</u>		148	0.04
			153	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध			154	0.06
परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4			156	0.01
वितरण शाखा की 5 एल एवं 6 एल मायनर निर्माण हेतु.			162	0.10
			164	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश			493	0.10
(भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया			499	0.03
जा सकता है.			500	0.03
			501	0.03
क्र. 595-भू-अर्जन-2010-11-18-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य			502	0.03
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची			505	0.02
के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित			506	0.04
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन			507	0.08
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,			520	0.09
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन			524	0.13
के लिए आवश्यकता है :—			525	0.09
			526	0.01
अनुसूची			528	0.20
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि			537	0.07
(क) जिला—शिवपुरी			555	0.35
(ख) तहसील—नरवर				

(1)	(2)	(1)	(2)
556	0.27	954	0.06
558	0.03	955	0.04
559	0.21	1009	0.05
560	0.10	1010	0.05
561	0.03	1016	0.06
564	0.12	1031/2	0.25
622	0.20	1076	0.01
623	0.15	1077	0.03
629	0.09	1078	0.01
630	0.27	1079	0.08
631	0.03	1080	0.05
632	0.08	1081	0.06
633	0.03	1082	0.04
646	0.03	1083	0.03
647	0.02	1085	0.05
648	0.02	1086	0.03
652	0.01	1095	0.02
653	0.01	1096	0.09
683/2	0.16	1097	0.10
687	0.01	1098	0.09
688	0.18	1099	0.08
689	0.15	1100	0.03
735	0.03	1101	0.01
741	0.02	1102	0.14
742	0.04	1103	0.03
743	0.04	1109	0.06
745	0.10	1110	0.08
746	0.11	1111	0.07
749	0.08	1114	0.06
750	0.04	1115	0.08
751	0.02	1117	0.06
754	0.17	1119	0.03
755	0.05	1195	0.01
756	0.07	1197	0.11
939	0.08	1199	0.01
940	0.10	1200	0.06
947	0.05	1201	0.02
948	0.05	1206	0.03
949	0.12	1209	0.08
950	0.05	1210	0.11
953	0.02	1211	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1222	0.02	1349	0.10
1223	0.02	1351	0.22
1224	0.01	1352	0.02
1244	0.03	1353	0.03
1246	0.01	1362	0.02
1262	0.01	1363	0.06
1263	0.04	1365	0.01
1264	0.09	1390	0.01
1265	0.01	1391	0.11
1277	0.03	1397	0.01
1278	0.05	1399	0.02
1279	0.08	1400	0.08
1307	0.01	1406	0.05
1308	0.02	1408	0.08
1309	0.03	1410	0.05
1310	0.02	1411	0.05
1311	0.03	1412	0.07
1312	0.02	1416	0.08
1313	0.01	1418	0.02
1316	0.01	1605	0.10
1317	0.03	1621	0.01
1318	0.10	1622	0.09
1322	0.25	1623	0.01
1323	0.20	1628	0.07
1327	0.02	1629	0.09
1328	0.01	1630	0.04
1329	0.01	1631	0.07
1330	0.02	1643	0.04
1333	0.18	1644	0.09
1334	0.02	1645	0.01
1335	0.02	1646	0.01
1336	0.05	1647	0.02
1338	0.05	1665	0.01
1339	0.07	1718	0.16
1340	0.04	1720	0.02
1341	0.05	1731	0.03
1343	0.06	1733	0.01
1344	0.03	1947	0.01
1345	0.01	1948	0.02
1346	0.01	1949	0.06
1347	0.03	1950	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1955	0.08	4	0.04
1956	0.07	5	0.09
1966	0.01	6	0.08
1969	0.09	7	0.11
1970	0.01	19/2	0.02
1971/1	0.10	24	0.28
1987	0.05	25	0.01
1988	0.06	26	0.07
1989	0.02	27	0.08
1990	0.08	28	0.16
1991	0.05	29	0.19
1994	0.02	30	0.10
1995	0.07	35	0.06
कुल योग . .	<u>13.02</u>	37/1	0.02
		37/2	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंधु परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी तक) की डी-4 वितरण शाखा 6 एल एवं 7 एल मायनर निर्माण हेतु.		38/1	0.01
		38/2	0.01
		42	0.01
		54	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		55	0.01
		65	0.30
		67	0.04
		68	0.03
क्र. 588-भू-अर्जन-2010-11-19-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		114	0.02
		116	0.03
		117	0.01
		120	0.04
		121/1	0.01
		121/2	0.04
		122	0.08
		159	0.01
		160	0.08
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि		161	0.01
(क) जिला—शिवपुरी		180	0.06
(ख) तहसील—नरवर		181	0.04
(ग) नगर/ग्राम—कलोथरा सानी		183	0.05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.62 हेक्टेयर.		184	0.03
		189	0.04
		190	0.18
खसरा नं.	लगभग क्षेत्रफल	191	0.09
	(हे. में)	192	0.04
(1)	(2)	205	0.02
1	0.09	206	0.09
3	0.18	207	0.02

(1)	(2)
208	0.08
209	0.10
210	0.01
211	0.01
242	0.05
243	0.09
244	0.04
245	0.02
266	0.07
269	0.02
270	0.02
271/1	0.10
271/2	0.08
287	0.04
288	0.04
289	0.04
291	0.09
293	0.02
294	0.01
295	0.06
296	0.16
297	0.04
298	0.01
299	0.01
300	0.02
303	0.03
304	0.01
305	0.02
306	0.18
454	0.04
456	0.03
457	0.05
कुल योग . .	<u>4.62</u>

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 3 जनवरी 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 97-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—कुमठा
(घ) अर्जित रकबा—0.08 हेक्टेयर

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
321/2	0.08
योग . .	<u>0.08</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिपलौद-कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 98-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना दायां तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की डी-7 वितरण शाखा 5 आर एवं 6 आर मायनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश (भू-अर्जन शाखा) जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ग) ग्राम—रामपुरी रैयत	(1)	(2)
(घ) अर्जित रकबा—0.05 हेक्टेयर	279	1.29
खसरा क्र.	अर्जित रकबा	263/4
	(हे. में)	268
(1)	(2)	264
246	0.05	263/6
	योग . .	263/3
	<u>0.05</u>	263/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिपलोद-कुमठा मार्ग के कि.मी. 6/8 में लखोरी नदी पर पुल व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.	245/2	0.46
	247	0.04
	245/3	0.50
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.	243	0.32
	245/1	0.20
	234	0.13
	244	0.03
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	242	0.03
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	241	2.10
	237/3	0.10
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं	201/3	0.45
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	201/2	0.02
	201/1	0.08
	योग . .	<u>9.99</u>

सिवनी, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 88-जि.भू.अ.-2011.—चूंकि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सिवनी द्वारा अधिसूचना दिनांक 3 दिसम्बर 2010 द्वारा यह अधिसूचित किया जा चुका है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः यह घोषणा की जाती है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) का धारा 6 के अन्तर्गत, राज्य शासन का समाधान हो गया है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—कुरई

(ग) ग्राम—सेटेवानी प.ह.नं. 17/105

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.01 हेक्टेयर

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हे. में)

(1) (2)

अशासकीय भूमि

282 0.88

281 0.74

शासकीय भूमि

278 0.07

277 0.14

266 0.06

265 0.13

246 0.05

240 0.04

239 0.04

238 0.43

200 0.06

योग . . 1.02

कुल योग . . 10.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिवनी नागपुर रोड पर बार्डर चैक पोस्ट का निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर
परियोजना रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. 11-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—करारी ज. न. 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.247 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
98/1	0.006
98/2	0.241
योग . .	0.247

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—जुरौट ज. न. 181

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.024 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग रकबा (हे. में)
(1)	(2)
900	0.024
योग . .	0.024

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की जुरौट माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—गुढ़वा ज. न. 134
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा नं.	लगभग रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1084	0.040
1124	0.008
योग . .	0.048

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की गुढ़वा माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 1240-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय प्रशिक्षण “Application of Information and Communication Technology to District Judiciary”, जो दिनांक 17 जनवरी 2011 से 22 जनवरी 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेलवे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी। जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10

बजे से शाम 5 बजे के बीच दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें।

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
8. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें। साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया “लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका” भी साथ लेकर आवें।
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. 1194-गोपनीय.-2010-दो-2-1-2010-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री रवि कुमार नायक, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 जनवरी 2011

क्र. 01-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार को उनके कार्य के अतिरिक्त धार जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री शिव नारायण खरे को धार सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री शिव नारायण खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, धार की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 02-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल को उनके कार्य के अतिरिक्त भोपाल जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री श्रीराम शर्मा को भोपाल सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री श्रीराम शर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 03-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री ओम प्रकाश सुनरया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी

को उनके कार्य के अतिरिक्त सीधी जिले के जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री ओम प्रकाश सुनरया को सीधी सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर श्री ओम प्रकाश सुनरया विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. सी-7626-दो-2-69-2010.— श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 से 26 दिसम्बर 2010 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-7647-दो-2-13-2008.— श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. सी-7649-दो-3-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 3 से 7 जनवरी 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2011 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 8 से 9 जनवरी 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 10th December 2010

No. 2539-C.J.II-1008.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Mohd. Mehmood Khan, Civil Judge, Class-II, Damoh for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND, WHEREAS, serious nature of the Allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control under suspension, the High Court hereby places Shri Mohd. Mehmood Khan, Civil Judge, Class-II, Damoh under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No. 2541-C.J.II-1282.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Atul Thakur, JMFC, Nasrullahganj, District Sehore for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND, WHEREAS, serious nature of the allegations of misconduct warrants his suspension from service, pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control under suspension, the High Court hereby places Shri Atul Thakur, JMFC, Nasrullahganj, District Sehore under suspension, with immediate effect with the headquarters at Raisen. The High Court further directs that orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,
K. D. KHAN, Principal Registrar.
(Inspection and Vigilance)

जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 1235-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लिखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री सुभाष काकड़े जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	जबलपुर	रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से, दिनांक 3-1-2011 से.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 27th December 2010

No. B-5812-I-7-3-2010 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2011 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 is hereby published for general information :—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Republic Day	26-1-2011	Wednesday
2.	Id-Milad-Un-Nabi	16-2-2011	Wednesday
3.	Mahashivratri	2-3-2011	Wednesday
4.	Gudi-Padwa	4-4-2011	Monday
5.	Ramnavmi	12-4-2011	Tuesday
6.	Dr. Ambedkar Jayanti	14-4-2011	Thursday
7.	Mahavir Jayanti	16-4-2011	Saturday
8.	Good Friday	22-4-2011	Friday
9.	Buddh Purnima	17-5-2011	Tuesday
10.	Independence Day	15-8-2011	Monday
11.	Janmashtmi	22-8-2011	Monday
12.	Id-UI-Fitar	31-8-2011	Wednesday
13.	Ganesh Chaturthi	1-9-2011	Thursday
14.	Sarvapitramoksha Amavasya	27-9-2011	Tuesday
15.	Dussehra (6-10-2011)		
	Mahaashtmi	4-10-2011	Tuesday
	Mahanavmi	5-10-2011	Wednesday
		6-10-2011	Thursday
16.	Deepawali (26-10-2011)	25-10-2011	Tuesday
		26-10-2011	Wednesday
		27-10-2011	Thursday
		28-10-2011	Friday
17.	Id-UI-Zuha	7-11-2011	Monday
18.	Gurunanak Jayanti	9-11-2011	Wednesday
19.	Moharrum	6-12-2011	Tuesday

TOTAL :—24 Days

NOTES :—

- Holi (Dhuredi) dated 20th March 2011, Gandhi Jayanti dated 2nd October 2011, Christmas Day dated 25th December 2011 falls on Sunday & Raksha Bandhan dated 13th August 2011 falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
- Saturdays falling on 8th January, 12th February, 12th March, 9th April, 14th May, 11th June, 9th July, 13th August, 10th September, 8th October, 12th November, 10th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts.
- Summer Vacation of Subordinate Courts shall be from 23rd May 2011 to 17th June, 2011 and Winter Vacation from 26th December 2011 to 31st December, 2011.
- Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
- The District Judge of the concerned district shall declare three Local Holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
- The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III-6-8/85, Pt-II dt. 26-5-2010.**

T. K. KAUSHAL, Registrar General.

**TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF
MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2011**

Days	JANUARY					FEBRUARY				MARCH					
SUN.	30	2	9	16	23		6	13	20	27		6	13	20	27
MON.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		7	14	21	28
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22		1	8	15	22	29
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23		2	9	16	23	30
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24		3	10	17	24	31
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25		4	11	18	25	
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
Days	APRIL					MAY					JUNE				
SUN.		3	10	17	24	1	8	15	22	29		5	12	19	26
MON.		4	11	18	25	2	9	16	23	30		6	13	20	27
TUE.		5	12	19	26	3	10	17	24	31		7	14	21	28
WED.		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29
THU.		7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	30
FRI.	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	
SAT.	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25	
Days	JULY					AUGUST					SEPTEMBER				
SUN.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		4	11	18	25
MON.		4	11	18	25	1	8	15	22	29		5	12	19	26
TUE.		5	12	19	26	2	9	16	23	30		6	13	20	27
WED.		6	13	20	27	3	10	17	24	31		7	14	21	28
THU.		7	14	21	28	4	11	18	25		1	8	15	22	29
FRI.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		2	9	16	23	30
SAT.	2	9	16	23	30	6	13	20	27		3	10	17	24	
Days	OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.	30	2	9	16	23		6	13	20	27		4	11	18	25
MON.	31	3	10	17	24		7	14	21	28		5	12	19	26
TUE.		4	11	18	25	1	8	15	22	29		6	13	20	27
WED.		5	12	19	26	2	9	16	23	30		7	14	21	28
THU.		6	13	20	27	3	10	17	24		1	8	15	22	29
FRI.		7	14	21	28	4	11	18	25		2	9	16	23	30
SAT.	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31

○ Sundays & Holidays

△ Closed Saturday

□ Vacation